

:: कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ::

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/एफ-1ए/सेट-अप परिवर्तन/16-17

दिनांक-15.06-16

'अति-आवश्यक'


समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा,


विषय:- प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक
विद्यालयों में समन्वयन से माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में
अधिशेष अध्यापक लेवल-1 व लेवल-1A (विषयवार) के
पदस्थापन के संबंध में दिशा-निर्देश।

प्रसंग:- राज्य सरकार का पत्रांक:पण17(2)शिक्षा-2/2003 दिनांक
08.05.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के बिन्दू संख्या-5 के संबंध में लेख है कि
माध्यमिक शिक्षा विद्यालय के अधिशेष तृतीय श्रेणी अध्यापकों को उनके संबंधित ब्लॉक
शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यग्रहण हेतु तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करावें।


उक्त संबंध में यह विशेष ध्यान रखा जावें कि अधिशेष तृतीय श्रेणी अध्यापक को
जिस ब्लॉक के रामावि/राउमावि में कार्यरत है को उसी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय
हेतु कार्यमुक्त किया जाना है। कपितय कार्मिकों द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों की पालना में
जिला शिक्षा अधिकारी- प्रारंभिक शिक्षा में कार्यग्रहण कर लिया है, उन कार्मिकों को भी
तत्काल उक्तानुसार संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करावें।


(जमदीश चन्द्र पुरोहित)
आईएएस
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर


(बी.एल.स्वर्णकार)
आईएएस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- निजी सचिव, शासन सचिव स्कूल शिक्षा, राजस्थान जयपुर


संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर